



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-760/BR/2/2022-APCR

Date: 03/01/2024

To,

Shri D. Amarkesh
Superintendent of Police,
District – Bettiah
Collectorate Road,
Bettiah – 845438 (Bihar)
Email: sp-bettiah-bih@nic.in

Sub: अनुसूचित जनजाति के लोगो को झूठे मुकदमे में फ़साने के और पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में श्रीमती श्वेता देवी)मुखिया(, ग्राम पंचायत राज सपही मधुबनी, ग्राम-जबका, पोस्ट-भावल, थाना-रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण) बेतिया(, बिहार का अभ्यावेदन।

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Meeting held on 20.12.2023 under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report may be submitted to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully,

(एच.आर मीना /H.R. Meena)

अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer

E.mail: hr.rammeena@ncst.nic.in

nic

Copy to:-

श्रीमती श्वेता देवी,
मुखिया,
ग्राम पंचायत राज सपही मधुबनी
प्रखण्ड -रामनगर,
जिला-पश्चिम चंपारण (बेतिया),
बिहार - 845106

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की जाती हैं :-

- 1 . इस प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है अतः आयोग द्वारा अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
- 2 . जबका गाँव उराँव अनुसूचित जनजाति बहुल गाँव है अतः पुलिस द्वारा भविष्य में किसी भी घटना पर तथ्य/साक्ष्ययुक्त जाँच सुनिश्चित की जाये।
- 3 . जबका गाँव में अन्य समुदाय के दबंग लोग रहते हैं जिनसे गाँव के उरावं जनजाति के लोग प्रभावित होते हैं अतः पुलिस की कार्रवाई सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण में केन्द्रित होनी चाहिए।

उपरोक्त अनुसार मामले में अपेक्षित कार्रवाई की जाये तथा की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों की अवधि में भिजवाई जाये।

अनंत नायक
(अनंत नायक)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनंत नायक ANANTA NAYAK
अनंत नायक
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-760/BR/2/2022-APCR

List of participants

National Commission for Scheduled Tribes

1. Shri Ananta Nayak
Hon'ble Member
2. Smt. Miranda Ingudam
Director
3. Shri H.R. Meena
Research Officer
4. Shri Rahul
Investigator

Officers from O/o Superintendent of Police, Bettiah, Bihar

Shri Kiran Kumar Jadhav
SP, Bagaha, Bihar

Petitioner